प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ/ दिनांक 22 मार्च, 2016**

विषय: **वित्तीय वर्ष-2015-16 में आयोजनागत योजना-"पौधशाला प्रबन्ध योजना" के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि रू0 457.97 लाख की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-1043/36-पी-49 (2015-16) दिनांक 26.02.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक,30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष-2015-16 में लेखाशीर्षक-4406-01-102-13-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन (सी0सी0एल0) प्रणाली के पूॅजीलेखा के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य में धनराशि रू0 6.00 लाख एवं 4406–102-110-04-एलीफैन्ट टाजिंट/रेस्क्यू सेन्टर के पूॅजीलेखा के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य एवं 42-अन्य व्यय में क्रमश: रू0 351.97 लाख एवं रू0 100.00 लाख कुल धनराशि रू0 451.97 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 457.97 लाख की हो रही बचतों से "पौधशाला प्रबन्ध योजना" हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 457.97 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-633ए/चौदह-4-2016-505/2012टीसी दिनांक 22 मार्च, 2016 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 457.97 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तावन लाख सत्तानबे हजार मात्र) जो निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या 60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
05-पौधशाला प्रबन्ध योजना (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहद निर्माण कार्य	44900
42-अन्य व्यय	897
योग-	**45797**

(रू0 चार करोड़ सत्तावन लाख सत्तान्बे हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि नई पौधशालाएं स्थापित नहीं हो रही हैं, पहले से स्थापित पौधशालाओं के लिए उपलब्ध धनराशि तथा इस परियोजना से उपलब्ध धनराशि का लेखा-जोखा अलग-अलग रखा जायेगा ताकि एक ही मद पर दोहरी धनराशि उपलब्ध न हो और प्रश्नगत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात व्यय की जायेगी।

4- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

5- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समापित पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

8- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी द्वारा विगत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए शासन को पूर्ण विवरण एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उक्त सन्दर्भित पत्र सं-0पी 49-पी-36/1043- (16-2015) दिनांक 26.02.2016 में

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

उलिलखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक,30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-633(1)/चौदह-4-2016-505/2012 टीसी तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दि्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उय भवनकेन्द्री 0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in